

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

प्रेषक

सुशांत झा,
विशेष सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,
सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतामढ़ी

पटना, दिनांक

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम बजट के मुख्यशीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष- 02- तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-105- इंजीनियरिंग/ तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या- 43, उपशीर्ष-0106- अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय) (विपत्र कोड 43-4202021050106) के अधीन आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-343, दिनांक 28.01.2019 के द्वारा विभागान्तर्गत सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतामढ़ी में AICTE के मापदण्ड के अनुसार पूर्व से अधिष्ठापित कम्प्यूटर एवं प्रिंटर के अतिरिक्त अद्यतन विशिष्टियों की 45 (पैंतालीस) कम्प्यूटर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रु. 29,25,000=00 (उनतीस लाख पच्चीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 52 02 मशीनें एवं उपस्कर-अन्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से कुल रु. 29,25,000=00 (उनतीस लाख पच्चीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561/वि.(2), दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक-6115, दिनांक 13.08.2018 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों एवं वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. टी. भी. न. एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह./ -

(सुशांत झा)

विशेष सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III) ब-8/2013 (पार्ट)-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

विशेष सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III) ब-8/2013 (पार्ट-1)-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

विशेष सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III) ब-8/2013 (पार्ट-1)-

124(आ1) /पटना, दिनांक 7-2-019

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ योजना सहायक/ आई.टी. मैनेजर (ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7-2-19

विशेष सचिव

06/02/19

रजिस्ट्रार